

## प्रेस नोट थाना कोतवाली दिनांक 06-11-2020

### अवैध पटाखा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित हत्या, लूट, चोरी, अवैध पटाखा बेचने व भण्डारण करने वाले कारोबारियों पर प्रतिबंध, इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी व हिस्ट्रीशीटरो के खिलाफ कार्यावाही हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में श्री वी०के० सिंह, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में प्र०नि० प्र०नि० जयदीप कुमार वर्मा मय उ०नि० श्री राम सिंह मय हमराह फोर्स के साथ दिनांक 06.11.2020 को अभियुक्तगण जो अवैध पटाखा की तस्करी कर थाना क्षेत्र में बेचने की कोशिश में थे को थाना क्षेत्र के मिया बाजार भोला बनिया की दूकान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व बरामदगी का विवरण निम्नवत है-

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कन्हैया लाल यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी मिर्जापुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 06.11.2020 समय 01.00 बजे स्थान मिया बाजार भोला बनिया की दूकान के पास थाना कोतवाली गोरखपुर

### बरामदगी का विवरण

33 अदद कार्टून पटाखा व 03 अदद बोरा विस्फोटक सामग्री

### आपराधिक विवरण-

मु०अ०सं० 854/20 धारा 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र०नि० जयदीप कुमार वर्मा (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
2. उ०नि० राम सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
3. उ०नि० प्रदीप कुमार सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
4. उ०नि० प्रेमचन्द यादव (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
5. का० पियुष कुमार सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
6. का० शक्ति सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
7. का० विनोद यादव (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
8. का० सुभाष यादव (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
9. का० आनन्द गिरी (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
10. म०का० संध्या सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
11. म०का० मोहिनी यादव (थाना कोतवाली, गोरखपुर)